

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 5/12/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 5/12/2023 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
3. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री के.सी. तनेजा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
5. श्री अमित वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
6. श्रीमती मीना भार्गव, प्रतिनिधि, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा।
7. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास के प्रतिनिधि प्राधिकरण, नौएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप. विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) , (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) , (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) , (iv) पी.पी. सिंह, एईई, यूपीपीसीवी और (v) राजीव कुमार, जे.ई., यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 21/11/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

21/11/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 21/11/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) विजयश्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण, शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और प्रदर्शन की निगरानी।



2.1 यह बताया गया कि मेसर्स विजयश्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्पिट तंबाकू (24039910) (3.80 एम.टन/वर्ष) के निर्माण के लिए दिनांक 27/05/2021 को एलओए जारी किया गया था। पहले, एलओए को 31/12/2023 तक छोटी अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था और अब, एनएनआईटी ने

पांच साल के तीसरे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 15/05/2028 तक एलओए के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

2.2 आगे बताया गया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुसार, पिछले ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

वर्ष	निर्यात		विदेशी मुद्रा व्यय	एनएफई व्यय	डीटीए बिक्री तैयार माल	लंबित एफई
	भौतिक	नियम 53(ए) के तहत एफई की आपूर्ति				
2018-19	111.55	0.00	0.00	111.55	0.00	0.00
2019-20	187.88	0.00	0.00	187.88	0.00	0.00
2020-21	116.85	75.66	7.70	184.81	0.00	0.00
2021-22	65.26	77.57	2.39	140.44	0.00	0.00
2022-23	42.61	72.67	40.78	74.50	0.00	0.00
कुल	524.15	225.90	50.87	699.18	0.00	0.00

2.3 आगे बताया गया कि इकाई ने परिवर्तन के बारे में भी सूचित किया है कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न दिनांक 01.07.2017 से 19/05/2023 निम्नलिखित विवरण के अनुसार:

शेयरधारक का नाम	पिछली शेयरधारिता (इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार)		वर्तमान शेयरधारिता (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)	
	शेयरों की संख्या	%शेयरधारिता	शेयरों की संख्या	%शेयरधारिता
1. विनोद कुमार बोथरा	20000	0.91%	20000	0.91%
2. प्रदीप कुमार आंचलिया	10000	0.45%	-	-
3. मांड्यूलर एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड	50000	2.27%	-	-
4. एडवेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	25000	1.13%	-	-
5. कॉन्टिनेंटल फिस्कल मैनेजमेंट लिमिटेड	150000	6.80%	-	-
6. चिन्नावली बार्टर प्राइवेट लिमिटेड	50000	2.27%	-	-
7. कंसाबती ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड	400000	18.14%	-	-
8. बीनापति मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड	1500000	68.03%	-	-
9. केनबेल ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड	-	-	150000	6.80%

डनो

10. भौटिक मर्चडाइज प्राइवेट लिमिटेड	-	-	300000	13.61%
11. कमल कुमार शर्मा	-	-	10000	0.45%
12. कुबेर हाउस प्राइवेट लिमिटेड	-	-	425000	19.27%
13. कुबेर एक्वा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	-	-	430000	19.50%
14. कुबेर एयरोटेक प्राइवेट लिमिटेड	-	-	440000	19.95%
15. जीजी टेक्निकल सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	-	-	430000	19.50%
कुल	2205000	100%	2205000	100%
शेयरधारिता में परिवर्तन	99.09%			

2.4 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हरि मोहन गुसा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री गुसा ने बताया कि वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में उल्लिखित डीमंड निर्यात तीसरे पक्ष का निर्यात है, जिसमें उन्होंने माल का निर्माण किया है और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई की ओर से उसका निर्यात किया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लेनदेन में तीसरे पक्ष (यानी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई) को विदेशी मुद्रा में प्रेषण मिलता है और उन्हें घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई से भारतीय रुपये में प्रेषण मिलता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या इन निर्यातों को उनकी एनएफई आय में गिना जाना चाहिए या नहीं क्योंकि माल का निर्माण और निर्यात उनके द्वारा किया गया है लेकिन विदेशी मुद्रा में वसूली घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई द्वारा प्राप्त की गई है।

2.5 अनुमोदन समिति ने पाया कि एसईजेड नियम, 2006 का नियम 43 निम्नानुसार प्रदान करता है:

"43. निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: — निर्यात के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई के लिए उप-ठेका - एक इकाई, निर्दिष्ट अधिकारी से वार्षिक अनुमति के आधार पर, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र निर्यातक की ओर से निर्यात के लिए उप-ठेका ले सकती है,

(A) अर्ध-तैयार माल और ईंधन सहित उपभोग्य सामग्रियों सहित सभी कच्चे माल की आपूर्ति घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र निर्यातक द्वारा की जाएगी;

(B) तैयार माल घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र निर्यातक की ओर से इकाई द्वारा सीधे निर्यात किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी निर्यातान्मुख इकाई या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या जैव-प्रौद्योगिकी पार्क इकाई, तैयार माल को या तो इकाई से या निर्यात उन्मुख इकाई या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या जैव प्रौद्योगिकी पार्क इकाई की ओर से उप-ठेका देने के मामले में निर्यात किया जा सकता है;

(C) निर्यात दस्तावेज घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र निर्यातक और इकाई के नाम पर संयुक्त रूप से होगा;



(D) घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रनिर्यातक इयूटी ड्राबैंक की ब्रांड दर के माध्यम से इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगा।

2.6 यह सूचित किया गया कि इकाई ने निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से नियम 43 के तहत कोई अनुमति नहीं ली थी। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का तीसरा भाग निर्यात मॉडल स्पष्ट नहीं है।

2.7 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:

(i) इकाई द्वारा किए गए भौतिक निर्यात का पूरा और अलग-अलग वर्षवार विवरण और पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान तीसरे पक्ष के निर्यात का विवरण।

(ii) परिवर्तन से पहले और बाद में कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का सीए प्रमाणित विवरण।

2.8 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) अनुमोदन समिति ने पांच साल के तीसरे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 15/05/2028 तक एलओए की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया, बशर्ते कि अगले स्पष्टीकरण तक किसी तीसरे पक्ष के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव पर भी ध्यान दिया, जो बदलाव से पहले और बाद में कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के सीए प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने के अधीन था। अनुमोदन समिति ने नौएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम प्रभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को निर्देश दिया।

(iii) प्रदर्शन की निगरानी के संबंध में, अनुमोदन समिति ने इकाई को इकाई द्वारा किए गए भौतिक निर्यात का पूरा और अलग-अलग वर्षवार विवरण और स्थापना के बाद से तीसरे पक्ष के निर्यात का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने मामले की विस्तार से जांच करने और पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

(3) लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-1) - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

3.1 इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:

1301

- (i) प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तु की वार्षिक उत्पादन क्षमता।
- (ii) प्रस्तावित समावेशन के लिए आवश्यक अतिरिक्त आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची।
- (iii) निर्यात, विदेशी मुद्रा व्यय, एनएफई आय, यदि कोई हो, का संशोधित अनुमान।
- (iv) 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) विशेषाधिकृत लेखापाल (CA) द्वारा विधिवत प्रमाणित और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित।
- (v) संशोधित विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, दिए गए प्रक्रिया प्रवाह चार्ट के अनुसार, इकाई ने सीआर पाइप + शीट को इनपुट वस्तु के रूप में दिखाया है, जबकि इसके पत्र दिनांक 14.11.2023 में, प्रस्तावित वस्तु का उल्लेख एम.एस. पाइप, एच.आर. शीट्स और अत्यधिक टिकाऊ स्प्रिंग्स और सहायक उपकरणसे बने 'पोगो स्टिक खिलौने' के रूप में किया गया है।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, ऊपर पैरा 3.1 में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन पोगो स्टिक खिलौने (95069990) के विनिर्माण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया।

(4) मेसर्स विक्टोरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड - अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना, मौजूदा अधिकृत संचालन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि इकाई ने मौजूदा अधिकृत परिचालनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:

विनिर्माण: (i) शीर्षक 8701-8705 (87089900) (150000000.00 टुकड़े/वर्ष) के वाहन के अन्य, हिस्से और सहायक उपकरण; (ii) साइलेंसर मफलर और निकास पाइप; उसके हिस्से साइलेंसर और निकास पाइप (87089200) (50000000.00 टुकड़े/वर्ष);

अतिरिक्त वस्तु :

1. विनिर्माण: (i) एल्युमीनियम बार रॉड और प्रोफाइल के अन्य भाग (76041039) (उत्पादन क्षमता: 2500000.00 टुकड़े/प्रति वर्ष); (ii) एल्युमीनियम बार रॉड और प्रोफाइल के अन्य भाग (76042990) (उत्पादन क्षमता: 2500000.00 टुकड़े/प्रति वर्ष);

2. (i) साइलेंसर मफलर और निकास पाइप का व्यापार; उसके हिस्से (87089200) (ii) अन्य, मोटर वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण (87089900)"

4.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित एचएस कोड यानी 76041039 और 76042990 का विवरण सीबीआईसी टैरिफ के अनुसार नामकरण से बेमेल है। इसके अलावा, इकाई ने मौजूदा विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

डिजा

I/54058/2023

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मौजूदा अधिकृत संचालन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का निर्णय लिया, बशर्ते कि निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाए:

(i) प्रस्तावित विनिर्माण वस्तुओं / आईटीसी (एचएस) कोड 74061039 और 76042990 का सही विवरण।

(ii) इस बात का स्पष्टीकरण कि वे व्यापारिक गतिविधियों को क्यों शामिल करना चाहते हैं जबकि उनके पास समान वस्तुओं के निर्माण की अनुमति है।

अनुमोदन समिति ने इकाई के उत्तर की जांच करने और फाइल पर अंतिम मंजूरी देने के लिए विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय को निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(5) पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

5.1 इकाई की निदेशक श्रीमती रश्मी आनंद अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव को समझाया।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

- (i) सादा सोने के आभूषण (71131911) - 5500 किलोग्राम/वर्ष
- (ii) हीरे से जड़ित सोने के आभूषण (71131913) - 200 किलोग्राम/प्रति वर्ष
- (iii) सोने की वस्तु, सोने के घटक (71131960) - 100 किलोग्राम/वर्ष
- (iv) सादे चांदी के आभूषण (71131141) - 100 किलोग्राम/वर्ष
- (v) हीरे से जड़ित चांदी के आभूषण (71131143) - 50 किलोग्राम/प्रति वर्ष।

(6) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - (i) अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव, (ii) व्यापारिक वस्तुओं के आयात के लिए दी गई एकमुश्त अनुमति का अनुसमर्थन और (iii) व्यापारिक वस्तुओं के आयात/निर्यात के लिए एकमुश्त अनुमति।

6.1 यह सूचित किया गया था कि इकाई ने अपने मौजूदा एलओए में अधिकृत संचालन के रूप में रबर या प्लास्टिक (एचएस कोड 64019210, 64019290, 64019910, 64019990) के बाहरी तलवों और ऊपरी हिस्से के साथ अन्य जूते की टी" रेटिंग को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आगे बताया गया कि इकाई द्वारा दिखाई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, एचएस कोड 64019210 के तहत माल आयात करने की एक बार की अनुमति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23/11/2023 द्वारा अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन प्रदान की गई थी।

6.2 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री कुमार ने बताया कि वे आयातित खेप (दिनांक 23/11/2023 की एकमुश्त अनुमति के तहत उन्हें दी गई) को न्यूयॉर्क, यूएसए में निर्यात करना चाहते हैं और उनसे उक्त खेप के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा कि 5 कंटेनरों वाला एक और

डि।

I/54058/2023

शिपमेंट भी आईसीडी तुगलकाबाद बंदरगाह पर आ गया है और उन्होंने फिर से उसी के आयात की एक बार की अनुमति के लिए अनुरोध किया है।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन के रूप में "बाहरी तलवों और रबर या प्लास्टिक के ऊपरी हिस्से के साथ अन्य जूते का व्यापार" (एचएस कोड 64019210, 64019290, 64019910, 64019990) को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने एचएस कोड 64019210 के तहत माल के आयात के लिए दी गई एकमुश्त अनुमति दिनांक 23/11/2023 की भी पुष्टि की।

7. मेग्मा आरएफआईडी और लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव की सूचना।

7.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में निम्नलिखित परिवर्तन के बारे में सूचित किया है:

(A) निदेशक में बदलाव:

इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार निदेशकों की सूची	01/11/2023 से निदेशकों की सूची
1. श्री मणिकांत लवानिया 2. श्रीमती लक्ष्मी लवानिया	1. श्री मणिकांत लवानिया 2. श्रीमती लक्ष्मी लवानिया 3. श्री अमृत लाल मनवानी 4. श्रीमती अरुणिमा मनवानी 5. श्री वरुण मनवानी

(B) शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव का विवरण:

शेयरधारक का नाम	इकाई की स्थापना के समय शेयरधारिता स्वरूप (इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार)	इकाई के पत्र दिनांक 06/11/2023 के अनुसार पिछली शेयरधारिता	इकाई द्वारा सूचित नई शेयरधारिता
श्री मणिकांत लवानिया	45.23%	60.57%	24.31%
श्रीमती लक्ष्मी लवानिया	15.87%	9.50%	-
श्रीमती मेघा लवानिया	8.82%	0.01%	-
श्री पूरन चंद लवानिया	6.16%	-	-
श्री सुधीर लवानिया	10.82%	-	-
श्रीमती सुरभि भारद्वाज	8.56%	0.01%	-
श्री विनय शर्मा	4.54%	0.01%	-
श्री जे.पी. लवानिया	-	9.00%	-

डि.जी.

श्रीमती यशिका लवानिया	-	20.89%	-
श्री शशांक भारद्वाज	-	0.01%	-
श्री ज्योति कुमार अरवा	-	0.00%	-
श्री विनीत गुनवानी	-	0.00%	-
श्री अमृत लाल मनवानी (सहस्र इलेक्ट्रॉनिक्स के एकमात्र मालिक)	-	-	75.69%
आरंभिक शेयरधारिता के संबंध में शेयरधारिता में परिवर्तन		नए शेयरधारक -29.91% मौजूदा शेयरधारकों के भीतर - 15.34%	75.69%


7.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:


(i) विशेषाधिकृत लेखापाल (CA) द्वारा विधिवत प्रमाणित 09/08/2017 के बाद कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण और उसमें हुए बदलाव।

(ii) 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) विशेषाधिकृत लेखापाल (CA) द्वारा विधिवत प्रमाणित और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव पर ध्यान दिया, जो पैरा 7.2 में ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों/जानकारी प्रस्तुत करने के अधीन था। अनुमोदन समिति ने नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम प्रभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त